



आरक्षित दिनांक 15.11.2025

प्रदत्त दिनांक 09.01.2026

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक अपील सं. - 1859 वर्ष 1990

धीरज एवं अन्य

.....अपीलकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

अपीलकर्ता(गण) के अधिवक्ता : डी.डी. सिंह, मदन मोहन, नरेश कुमार, परमेश्वर यादव

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : डी.जी.ए.

चैंबर में.

माननीय न्यायमूर्ति सिद्धार्थ

माननीय न्यायमूर्ति प्रशान्त मिश्र-I

(माननीय न्यायमूर्ति सिद्धार्थ द्वारा सुनाया गया)

1. अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री राजर्षि गुप्ता और श्री श्याम बाबू; राज्य के विद्वान एजीए-प्रथम श्री प्रेम शंकर प्रसाद को सुना और अभिलेख पर मौजूद सामग्री का अवलोकन किया।

2. उपर्युक्त आपराधिक अपील अपीलकर्ताओं द्वारा अपर सत्र न्यायाधीश, जालौन-उरई द्वारा सत्र वाद सं. 153/1988 (राज्य बनाम धीरज और अन्य) में दिनांक 27.9.1990 को पारित निर्णय और अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।



आदेश के विरुद्ध दायर की गई है, जिसमें उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 201 के तहत भी दोषी ठहराया गया है और दो वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है।

3. अभियोजन पक्ष की कहानी संक्षेप में यह है कि सूचनादाता महेश चंद्र अपनी बहन लक्ष्मी को वापस लाने के लिए गांव पिंडारी, थाना अईत, जिला जालौन गया था। 3 फरवरी, 1987 को दोपहर के आसपास जब सूचनादाता कांति और पुट्टो के साथ 'पिपरा-हर' स्थित अपने खेत से घास लेने गया था, तभी आरोपी धीरज, कमलेश, चंद्रभान और गोविंद सिंह वहां पहुंचे और पुट्टो से पूछा कि उसने अपने माता-पिता से उनकी शिकायत क्यों की। उन्होंने कहा कि वे पुट्टो को नहीं छोड़ेंगे और उसकी मर्यादा भंग की। कुमारी कांति ने हस्तक्षेप किया, जिस पर आरोपियों ने उसे गाली दी, जान से मारने की धमकी दी और जबरन पुट्टो को रेलवे लाइन की ओर ले गए। कुमारी कांति घर लौट आई और शिकायतकर्ता को सूचना दी, जिसके बाद शिकायतकर्ता, कुमारी कांति, मलखान सिंह और नारायण सिंह के साथ मौके पर पहुंचे और आरोपियों को पुट्टो का शव रेलवे लाइन पर रखते हुए देखा। झांसी की तरफ से आ रही एक ट्रेन ने उसके शव को कुचल दिया। ट्रेन के गुजर जाने के बाद, शिकायतकर्ता ने आरोपियों को पिरोंना की ओर भागते हुए देखा। थाना में एफआईआर दर्ज की गई। विवेचनाधिकारी ने आरोपियों के खिलाफ अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की। शिकायतकर्ता ने डीआईजी, झांसी को एक आवेदन दिया, जिसके बाद एसपी, झांसी ने मामले की पुनः जांच की और अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की। बाद में, जब अंतिम रिपोर्ट अदालत में सुनवाई के लिए आई, तो सूचनादाता ने विरोध याचिका दायर की। आरोपियों को धारा 190(सी) दं.प्र.सं. के तहत तलब किया गया और सत्र न्यायालय में सुनवाई के लिए भेज दिया गया।

4. तथ्य के गवाहों के संबंध में, पीडब्लू-1 महेश चंद्र, सूचनादाता ने बताया कि घटना लगभग तीन वर्ष पूर्व घटी थी। घटना के समय वह मृतक की मां, अपनी बहन को घर वापस लाने के लिए एक दिन पहले पिंडारी गांव आया था। घटना वाले दिन दोपहर लगभग 12:30 बजे पुट्टो और कांति पिपरा के खेत से घास लेने गए थे। कांति लगभग 2 बजे लौटी और गवाह को बताया कि धीरज, कमलेश, चंद्रभान उर्फ पप्पू और गोविंद सिंह उर्फ गुंडा ने पुट्टो के साथ दुर्भावनापूर्ण तरीके से मारपीट की। आरोपियों ने उससे कहा कि चूंकि उसने दो दिन पहले उनके द्वारा कही गई

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।



बातों के बारे में अपने माता-पिता से शिकायत की थी, इसलिए वे उसे नहीं छोड़ेंगे और उसकी इज्जत लूटी। उस समय मलखान सिंह और कल्याण सिंह भी घर पर मौजूद थे और वे पिपरा के खेत की ओर दौड़े। पुट्टो वहां नहीं मिली और तलाश करने पर उन्होंने आरोपियों को पुट्टो के शव को रेलवे ट्रैक पर रखते हुए देखा। विपरीत दिशा से आ रही एक ट्रेन ने शव को दो टुकड़ों में कुचल दिया। मृतक के पिता घर पर नहीं थे, इसलिए गवाह अगले दिन तहरीर (प्रदर्श क- 1) के साथ थाना गया। जिरह में गवाह ने बताया कि वह भ्रमित था, इसलिए उसने तहरीर में घटना का सही समय नहीं बताया। उसने आगे बताया कि उसने घटना के संबंध में झांसी के डीआईजी के समक्ष हलफनामा दिया था। गवाह ने यह भी बताया कि वह बगल की जमीन के मालिकों के नाम नहीं जानता था क्योंकि वह दूसरे गांव का रहने वाला था। उसने आगे बताया कि वह सुबह थाना नहीं पहुंचा और शाम तक वहीं रुका रहा क्योंकि एफआईआर दर्ज नहीं की गई थी। उप-निरीक्षक गांव गए थे और लौटने पर एफआईआर दर्ज की गई और केवल इसी गवाह को घर जाने की अनुमति दी गई। गवाह ने आगे बताया कि विवेचनाधिकारी और झांसी के एसपी, दोनों ने अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसके बाद आरोपियों को अदालत द्वारा तलब किया गया। उसने आगे बताया कि वह आरोपियों को नाम और चेहरे से जानता था क्योंकि वह गांव आता-जाता था। गवाह ने आगे बताया कि जब कांति ने घटना का वर्णन किया तो वे घटनास्थल की ओर दौड़े। वह पुट्टो और आरोपियों की तलाश कर रहा था और उसने आरोपियों को पुट्टो को घसीटते हुए रेलवे ट्रैक की ओर भागते देखा। उन्होंने आरोपियों का पीछा नहीं किया क्योंकि इसी बीच एक ट्रेन वहाँ पहुँच गई और पुट्टो उसके नीचे कुचल दी गई। इस गवाह ने आगे बताया कि उसने पूरी घटना विवेचनाधिकारी को सुनाई, लेकिन अधिकारी दूसरे पक्ष में होने के कारण गवाहों के बयान ठीक से दर्ज नहीं कर पाया और आरोपियों के प्रभाव में आकर अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। इस गवाह ने यह भी इनकार किया कि पुट्टो ने आत्महत्या की थी और यह भी इनकार किया कि आरोपियों को दुश्मनी के कारण झूठे मामले में फंसाया गया था।

5. पी.डब्ल्यू- 2, श्रीमती कांति, घटना की एक अन्य प्रत्यक्षदर्शी और मृतक की बहन, ने पूरी घटना का वर्णन किया और अभियोजन पक्ष के बयान का समर्थन किया। उसने बताया कि खेत में पहुँचकर वे घास इकट्ठा कर रही थीं, तभी सभी आरोपी वहाँ पहुँचे और मृतक से पूछा कि उसने अपने माता-पिता से उनकी शिकायत क्यों की। उन्होंने उसे गंभीर परिणाम भुगतने की अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।



धमकी दी, उसकी मर्यादा भंग की और उसके साथ दुर्व्यवहार किया। हस्तक्षेप करने पर गवाह को भी गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी गई। असहाय महसूस करते हुए वह अपने घर भागी और अपनी माँ, मामा, मलखान सिंह के भाई और कल्याण सिंह को सूचना दी, जो तुरंत मौके पर पहुँचे। पुट्टो खेत में नहीं मिली और तलाश करने पर उन्होंने आरोपियों को पुट्टो को हाथों और पैरों से पकड़कर रेलवे ट्रैक पर रखते हुए देखा। उसी समय झांसी की तरफ से आ रही एक ट्रेन ने उसके शरीर को कुचल दिया और आरोपी भाग निकले। जिरह में इस गवाह ने बताया कि शव अगले दिन तक रेलवे ट्रैक पर पड़ा रहा। उन्होंने आगे कहा कि विवेचनाधिकारी उनके गांव नहीं गए, न ही उन्होंने उनका बयान दर्ज किया और न ही झांसी के एसपी ने उनसे पूछताछ की और उनके नाम पर दर्ज धारा 161 दं.प्र.सं. के तहत उनके बयान को नकार दिया। उसने आगे कहा कि उसने झांसी के डीआईजी और अदालत के समक्ष हलफनामा दाखिल किया था। आगे की जिरह में, इस गवाह ने कहा कि वह आस-पास के भूखंडों के मालिकों को नहीं जानती हैं और यह कहना गलत है कि आरोपियों को झूठा फंसाया गया है। इस गवाह ने बचाव पक्ष के इस दावे को खारिज कर दिया कि कुमारी पुट्टो ने आत्महत्या की थी और आरोपियों को दुश्मनी के कारण झूठे मामले में फंसाया गया है।

6. पीडब्लू-3 कल्याण सिंह घटना का एक अन्य गवाह है, जिसने अभियोजन पक्ष के बयान का समर्थन किया। जिरह के दौरान, इस गवाह ने कहा कि उनका सूचनादाता महेश चंद्र से कोई संबंध नहीं है। उसने यह भी कहा कि उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि उसके गांव के ओम प्रकाश की हत्या हुई थी और राम दास उस मामले में आरोपी था। उसने यह भी बताया कि विवेचनाधिकारी ने उनका बयान दर्ज ही नहीं किया और घटना के संबंध में उनसे कोई पूछताछ किए बिना ही उनका बयान लिख दिया। इस गवाह ने कुमारी पुट्टो द्वारा आत्महत्या करने से इनकार किया और कहा कि शत्रुता के कारण आरोपियों को झूठे आरोप में फंसाया गया है।

7. पीडब्लू- 4, हेड कांस्टेबल राम आसरे वर्मा, दिनांक 4.2.1987 को थाना अईत में हेड मोहरीर के पद पर तैनात थे, जिन्होंने तहरीर के आधार पर एफआईआर लिखी और जीडी में प्रविष्टि की।

8. पीडब्लू- 5, डॉ. एस.के. उपाध्याय, 5 फरवरी 1987 को जिला अस्पताल, उरई में चिकित्सा अधिकारी के पद पर तैनात थे। उसी दिन दोपहर 2 बजे उन्होंने मृतक कुमारी पुट्टो के शव का

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।



पोस्टमार्टम किया, जिसका शव सीलबंद कवर में लाया गया था और कांस्टेबल बिशंभर दयाल और होम गार्ड राम सेवक ने उसकी पहचान की थी। शव के दोनों अंगों में अकड़न आ चुकी थी और आंखें बंद थीं।

9. आरोपियों ने खुद को निर्दोष बताया और कहा कि उन्हें दुश्मनी के कारण झूठे मामले में फंसाया गया है। आरोपियों ने डी.डब्ल्यू- 1, हरि शंकर की गवाही कराई, जिसने बताया कि घटना के समय वह रेलवे ट्रैक के पास अपने खेत में काम कर रहा था और उसने कुमारी पुट्टो को आती हुई ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या करते और कुचलते हुए देखा। गवाह ने पुट्टो की मां को घटना की जानकारी दी। उसने आगे कहा कि आरोपियों ने पुट्टो को जान से मारने के इरादे से जबरदस्ती रेलवे ट्रैक पर नहीं उतारा था। जिरह के दौरान, इस गवाह ने कहा कि प्रभु दयाल उसका असली चाचा नहीं था और उसे यह भी नहीं पता था कि पहलवान या लालमन उसका दादा था या नहीं। उसने यह भी कहा कि वह अपने चाचा राम नाथ और बेटे प्रभु दयाल के बारे में नहीं जानता था। इस गवाह ने इस बात से इनकार किया कि वह घटना के समय मौजूद नहीं था और उसने केवल आरोपियों को बचाने के लिए अदालत के सामने गवाही दी थी।

10. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, हमने पाया कि विवादित घटना 3.2.1987 को दोपहर लगभग 3:00 बजे हुई थी। एफआईआर अगले दिन रात 9:30 बजे दर्ज की गई थी, देरी का कोई ठोस कारण नहीं बताया गया, सिवाय इसके कि मृतक के पिता ने घर लौटने के बाद एफआईआर दर्ज कराई थी। रिकॉर्ड से यह भी पता चलता है कि इस मामले में अंतिम रिपोर्ट दो बार प्रस्तुत की गई थी, लेकिन आरोपियों को विरोध याचिका पर सुनवाई के लिए बुलाया गया था। इस मामले के विवेचनाधिकारी को अदालत के सामने पेश नहीं किया गया था और इसलिए, संबंधित दस्तावेज और विवेचनाधिकारी द्वारा की गई जांच का रिकॉर्ड निचली अदालत के सामने बिल्कुल भी साबित नहीं हुआ। परिणामस्वरूप, बचाव पक्ष को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के तहत दर्ज गवाहों के बयानों का खंडन करने का कोई अवसर नहीं मिला, जिससे बचाव पक्ष के अधिकारों का हनन हुआ। निचली अदालत ने सुनवाई के दौरान विवेचनाधिकारी को भी तलब नहीं किया। ऐसा प्रतीत होता है कि यह मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित है और घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।



नहीं है। घटना स्थल के पास रहने वाले किसी भी गवाह से पूछताछ नहीं की गई है। जिन गवाहों से पूछताछ की गई है, वे मृतक के रिश्तेदार हैं।

11. प्रथम सूचना रिपोर्ट 17 घंटे से अधिक की देरी के बाद अगले दिन दर्ज की गई और इस अत्यधिक देरी का कोई तर्कसंगत स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। पीडब्ल्यू-1 के बयान में देरी का कारण यह बताया गया है कि वे मृतक के पिता के लौटने का इंतजार कर रहे थे; हालांकि अभियोजन पक्ष ने मृतक के पिता से पूछताछ नहीं की है। यह स्पष्टीकरण सामान्य विवेक के सिद्धांत के अनुरूप नहीं है, विशेष रूप से इसलिए क्योंकि प्रथम सूचनाकर्ता (पी.डब्ल्यू.-1) वयस्क है और घटना का प्रत्यक्षदर्शी होने का दावा करता है। इस अत्यधिक देरी का कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। यह तथ्य इस तथ्य के आलोक में और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि अभियोजन पक्ष ने न तो पंचनामा को साबित किया है और न ही विवेचनाधिकारी को घटनास्थल की योजना आदि जैसे अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों को साबित करने के लिए गवाही दर्ज कराने हेतु पेश किया है। इस प्रकार, प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने में अभियोजन पक्ष की देरी वास्तव में उसके अपने मामले के लिए घातक है।

12. अभियोजन पक्ष के गवाह, पीडब्ल्यू-1 स्वीकृत रूप से, उस गाँव का निवासी नहीं है जहाँ घटना घटी थी, और उसका यह स्पष्टीकरण कि वह अपनी बहन से मिलने गया था, किसी अन्य साक्ष्य से पुष्ट नहीं होता है। मृतक के माता-पिता की पूछताछ न किए जाने और प्रथम सूचना रिपोर्ट को अगले दिन दर्ज कराने में हुई देरी से यह उचित निष्कर्ष निकलता है कि प्रथम गवाह घटना स्थल पर उपस्थित नहीं था और वह अगले दिन ही वहाँ पहुँचा था। जानबूझकर, घटना के वास्तविक कारण को छिपाने और पुरानी दुश्मनी का फायदा उठाकर आरोपियों को झूठा फंसाने के इरादे से, विवादित प्रथम सूचना रिपोर्ट झूठी दर्ज कराई गई प्रतीत होती है।

13. इसी प्रकार, पीडब्ल्यू- 2 भी विवाहित महिला है और उसी गाँव की निवासी नहीं है। घटना वाले दिन वह अपने मायके में क्या कर रही थी, इस बारे में उसकी ओर से भी कोई उचित स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है, विशेषकर तब जब प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने में देरी हुई और मृतक के माता-पिता से पीडब्ल्यू- 1 और 2 की गवाही की सत्यता की पुष्टि के लिए पूछताछ नहीं की गई।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।



14. पीडब्लू- 3 एक अत्यधिक हितबद्ध और पक्षपाती गवाह है क्योंकि वह पीडब्लू- 1 और 2 से घनिष्ठ रूप से संबंधित है और उसके परिवार तथा आरोपी व्यक्तियों के परिवार के बीच लंबे समय से मुकदमा चल रहा है। अपनी गवाही में उसने पूछे गए विशिष्ट प्रश्नों के टालमटोल भरे उत्तर दिए हैं। इस प्रकार, निचली अदालत ने ऐसे हितबद्ध और पक्षपाती गवाह की गवाही पर भरोसा करके घोर गैरकानूनी कार्य किया है।

15. अभियोजन पक्ष घटना के मूल कारण को साबित करने में पूरी तरह विफल रहा है, क्योंकि न तो घटनास्थल का नक्शा, न ही पंचनामा और न ही अभियोजन पक्ष द्वारा कोई अन्य प्रासंगिक दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं। यह तथ्य और भी अधिक विवादास्पद हो जाता है क्योंकि अभियोजन पक्ष ने जानबूझकर विवेचनाधिकारी को इन सभी दस्तावेजों को साबित करने से रोक रखा था। इस संबंध में, यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि जांच के दौरान यह सामने आया कि मृतक ने अपने परिवार के साथ हुए विवाद के कारण आत्महत्या की थी। आवेश में आकर और गुस्से में आकर वह रेलवे ट्रैक पर चली गई और आती हुई ट्रेन की चपेट में आकर बुरी तरह घायल हो गई, और इस घटना को वहां मौजूद ग्रामीणों ने अपनी आंखों से देखा। गहन जांच के बाद, इस मामले में अंतिम रिपोर्ट दाखिल की गई, क्योंकि प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोप सत्य नहीं पाए गए। विवेचनाधिकारी और अन्य प्रासंगिक औपचारिक गवाहों की जांच न होने से, जो अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने की परिस्थितियों को स्पष्ट कर सकते थे, और पंचनामा, स्थल योजना आदि जैसे प्रासंगिक अभियोजन दस्तावेजों को रोके रखने से, बाद में परीक्षित अत्यधिक हितबद्ध और पक्षपाती गवाहों के मौखिक बयानों की पुष्टि करने के लिए अभियोजन पक्ष के पास कोई सबूत नहीं बचता है। इस तथ्य के आलोक में कि प्रथम सूचना रिपोर्ट बिना किसी उचित स्पष्टीकरण के विलंबित की गई थी, निचली अदालत को विवेचनाधिकारी और अन्य महत्वपूर्ण गवाहों की जांच न होने और जांच रिपोर्ट, स्थल योजना आदि जैसे प्रासंगिक दस्तावेजों को साबित न करने के संबंध में प्रतिकूल निष्कर्ष निकालना चाहिए था। इसके बजाय, इसने अत्यधिक हितबद्ध और पक्षपाती गवाहों की अपुष्ट गवाहियों पर भरोसा किया, जो उसी गांव के निवासी नहीं थे, और इस प्रकार अत्यंत गलत और अवैध रूप से अभियुक्तों को दोषी ठहराने का फैसला सुनाया।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।



16. घटना के समय अपीलकर्ता 18 वर्ष से कम आयु के थे और इस प्रकार, संबंधित समय पर कानून के तहत किशोर थे, जिसके लिए उनके पास अपनी हाई स्कूल की मार्कशीट और अन्य दस्तावेज थे जो उनकी आयु साबित करते थे, लेकिन निचली अदालत के समक्ष ऐसा कोई दावा नहीं किया गया था। इसके अलावा, निचली अदालत ने धारा 313 दं.प्र.सं. के तहत उनके बयान दर्ज करते समय उनकी आयु भी नोट की थी, जिससे यह साबित होता है कि घटना की तारीख को वे किशोर थे। इसके बावजूद, निचली अदालत ने इस पर ध्यान नहीं दिया और संबंधित कानून के तहत उन्हें किशोरता का लाभ दिए बिना उन पर मुकदमा चलाया और उन्हें दोषी ठहराया।
17. उपरोक्त विचार से यह स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष अपने मामले को संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है। इसलिए, अपीलकर्ता संदेह का लाभ पाने के हकदार हैं और उन्हें सभी आरोपों से बरी किया जाता है। निचली अदालत द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों को उसके फैसले और दोषसिद्धि के आदेश के साथ रद्द किया जाता है।
18. उपरोक्त आपराधिक अपील स्वीकार की जाती है।
19. अपीलकर्ताओं के जमानत बांड और जमानतदारों को उन्मोचित किया जाता है।
20. कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वह विचारण न्यायालय का रिकॉर्ड एक सप्ताह के भीतर विचारण न्यायालय को लौटा दे और इस फैसले की सूचना विचारण न्यायालय को दे दे।

(न्यायमूर्ति प्रशांत मिश्रा-I) (न्यायमूर्ति सिद्धार्थ)

9 जनवरी, 2026

रुचि अग्रहरि

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।